



कार्यालय अधिकारी अभियन्ता  
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०निवि०.  
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Website- <http://pwd.uk.gov.in>

e-mail:-eenhpwdbankot@gmail.com

दूरभाष /फ़ेक्स नं० ०१३७५-२२४४२६

पांच ई८३०/२सें०

सेवा मे०

अधीक्षण अभियन्ता

१०वां रा० मा० बृत्ता, लो०निवि०  
देहरादून

विषय:-

मा० उच्च न्यायालय द्वारा गठित सडक सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक २७.०२.२०१७ को  
दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध मे०।  
संदर्भ:-  
मुख्य अभियन्ता रा०मा० एवं सेतु का पत्र सं० ३९४७/१६३ रा०मा०/२०१७ दिनांक  
२३.११.२०१७ के अनुपालन मे०।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम मे० अवगत कराना है कि दिनांक ०३.११.  
२०१७ को मा० उच्च न्यायालय द्वारा गठित सडक सुरक्षा समिति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं०  
१२३(५०७) के किमी० ०.०० से १६.०० के मध्य चिह्नित ब्लौक स्पॉट का निरीक्षण किया गया।  
उक्त स्थान पर लीड एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों/लीड एजेन्सी  
के पत्र सं० ६५५३/प्रवर्तन/स०सु०/१-८(३४)/२०१७ दिनांक १३.११.२०१७ के द्वारा जारी  
निर्देशों का कार्यवृत्तानुसार निस्तारण निम्नवत् है:-

२२- लेहमन पुल के पास विकासनगर:-

- २२.०१ सम्बन्धित स्थल पर राज्यवाल स्ट्रिप पर थर्मोएलेस्टिक पेन्ट लगाने हेतु आगणन गठित कर उक्त मद को सम्मिलित किया गया है।
- २२.२ बोर्ड लगाने हेतु आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।
- २२.३ सम्बन्धित स्थल पर पेडो की लॉपिंग/कटिंग करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण विभाग, कालसी देहरादून को पत्र सं० कैम्प-मैमो-२३ बी० दिनांक १५.११.२०१७ को अवगत करा दिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न - Annexure III
- २२.४ सडक किनारों पर विद्युत पोल हटाये जाने हेतु अधिकारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० विकासगनर देहरादून को पत्र सं० कैम्प-मैमो-२२ बी० दिनांक १५.११.२०१७ को अवगत करा दिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न - Annexure I
- २२.५ सडक के दोनों ओर अतिकमण हटाने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को एक सप्ताह के अन्दर अतिकमण हटाने हेतु नोटिस मे०जे गये है। नोटिस की एक प्रति लिस्ट सहित संलग्न। Annexure IV, V
- २३ ब्राइट एंजल स्कूल लाईन जीवनगढ़:-
- २३.१ आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।
- २३.२ थर्मोएलेस्टिक पेन्ट मद को आगणन से सम्मिलित किया गया है।

23.3 इस स्थान पर वर्तमान में नाला निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में नाले की दिवारों को उठाकर बैकफिलिंग का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

23.4 सम्बन्धित व्यक्ति को एक सप्ताह के अन्दर अतिकमण हटाने हेतु पत्र सं0 कैम्प-मैमो-12बी० दिनांक 15.11.17 के द्वारा नोटिस भेजा गया है। प्रतिलिपि संलग्न

– Annexure-IV

23.5 सम्बन्धित स्थान पर नाला निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसके अन्तर्गत पेरापिट बनाया जाना स्वीकृति है। जल्द ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

23.6 रा०मा० पर नगर पालिका द्वारा लगाये गये होडिंग को हटाने हेतु पत्र सं0 कैम्प-मैमो-21 बी दिनांक 15.11.2017 के द्वारा सूचित किया गया है। प्रतिलिपि संलग्न – Annexure- V

23.7 रा०मा० के किनारों पर किये गये अतिकमण को हटाने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस भेज दिये गये हैं, साथ ही जिला प्रभासन एवं पुलिस विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं। (अतिकमणकर्ताओं की लिस्ट संलग्न) Annexure- IV,V

24 अम्बाडी मोड डाकपत्थर:-

24.1 उक्त स्थान पर सौर ऊर्जा संचालित पीला बिल्किर एवं कैट आई लगाये जाने हेतु आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

24.2 सम्बन्धित मदों को आगणन में सम्मिलित किया गया है।

24.3 अनाधिकृत रूप से लगायी ढुकानों को हटाने हेतु नोटिस भेजा गया है।

24.4 पेड़ों की लॉपिंग हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कालसी को पत्र प्रेषित किया गया है। प्रतिलिपि संलग्न – Annexure- III

25 यमुना पुल मोड बाडवाला, विकासनगर

25.1 रम्बल स्ट्रिप लगाने हेतु आगणन गठित किया गया है।

25.2 सम्बन्धित साईन बोर्ड आगणन में सम्मिलित किये गये हैं।

25.3 बिल्किर लगाये जाने हेतु आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

(i) रा०मा०-123(507) के किमी 0.00 से 16.00 तक मार्ग के किनारे पर परिवहन में बाधक वृक्षों की लॉपिंग हेतु प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण विभाग कालसी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। प्रतिलिपि संलग्न – Annexure- III

(ii) रा०मा० पर सुरक्षित यातायात हेतु अवरोधक बने विद्युत पोल हटाये जाने हेतु अधिषासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेषन लिं विकासनगर देहरादून आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। प्रतिलिपि

रामगढ़ पर लगाए गये होडिंग्स को हटाये जाने हेतु नगर पालिका विकासनगर एवं नगर पंचायत हड्डिटपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

(iv) रामगढ़ के दोनों ओर स्थानीय व्यपारियों द्वारा किये गये अतिकमण को हटाये जाने हेतु नोटिस भेजे गये हैं, साथ ही जिला प्रशासन एवं पुलिस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। प्रतिलिपि संलग्न – Annexure-

अतः उक्त स्थान पर मात्र उच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए किमी 0.00 से किमी 16.00 के मध्य चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार करने हेतु आगामी गठित किया जा रहा है।

संलग्न- Annexure- II, V

आगामी

अधिकारी अभियन्ता  
रामगढ़ खण्ड, लोनिविल  
बड़कोट (उत्तरकाशी)

१५२१८  
१५२१९  
गलामी १७  
११.८.११

S.E.  
J.M.